शा0 सं0 1563/010-4-7ई0एस0-79

प्रेषक,

बी0के0 चतुर्वेदी,
सचिव

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ दिनांक अक्टू. 1-11-90

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4530-11-265-1946 दिनांक 1-2-1947 का सन्दर्भ लें जिसमें इस आशय के आदेश निर्गत किये गये थे कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारियों अध्यक्ष एवम् सचिव दो पदाधिकारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि 14 दिन रखी गयी थी के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा अवधि बढ़ा कर पदाधिकारियों के लिए 30 दिन की जाती है तथा पदाधिकारियों को उक्त अवधि मे कार्य पर उपस्थित मानकर अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

भवदीय,

ह0 बी0 के0 चतुर्वेदी
सचिव

संख्या -1563/010-4-7ई0सी0-79 तद दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव ।
2- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
3- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
4- राज्य संयुक्त परामर्श संगठन के समस्त सदस्य ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से

पी0 के0 पाण्डेय
(उपसचिव)
[illegible]